Regarding rehabilitation of people living on railway land in Mumbai-laid

प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ (मुम्बई उत्तर-मध्य) : मुंबई जैसे महानगर में 50% से अधिक लोग झुग्गियों में अस्वस्थ और असुरक्षित परिस्थितियों में रहने को मजबूर हैं । ये झुग्गियां निजी, राज्य सरकार, नगर निगम, केंद्र सरकार, रेलवे और हाउसिंग बोर्ड की जमीनों पर स्थित हैं । महाराष्ट्र सरकार ने 1971 के स्लम सुधार अधिनियम के तहत झुग्गियों के पुनर्विकास और पुनर्वास की योजना बनाई थी, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि झुग्गियों को हटाने की स्थिति में उनका उचित पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए । हालांकि, रेलवे परिसरों में स्थित झुग्गियों के अतिक्रमण के मामले में रेलवे प्रशासन ने नोटिस जारी किए हैं,लेकिन इन झुग्गियों के पुनर्वास का कार्य केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय के अभाव में रुका हुआ है । इस पुनर्वास प्रक्रिया में एमएमआरडीए, सिडको, म्हाडा और मुंबई नगर निगम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है ।केंद्र सरकार से 'No Objection Certificate? प्राप्त करना भी इस प्रक्रिया की प्राथमिक आवश्यकता है । केंद्र और महाराष्ट्र सरकार से आग्रह है कि मिलकर एक सुनियोजित नीति तैयार करें और रेलवे परिसरों के आसपास रहने वाले लोगों के पुनर्वास कार्य को शीघ्र लागू करें । यह इन परिवारों को सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन देगा ।